झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, रांची–834001

झारखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) (विज्ञापन सं0–04/2013) मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा कार्यक्रम

झारखण्ड लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–04/2013 के आलोक में **मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा** कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित है:–

परीक्षा तिथि	पाली	समय	पत्र संख्या	विषय	स्वरुप	अंक
19.07.2014 (ानिवार)	प्रथम	10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक	प्रथम	(i) Procedural Law (The Code of Civil Procedure, 1908 and The Code of Criminal Procedure, 1973) (ii) The Indian Penal Code, 1860 (iii) The Indian Evidence Act, 1872 (iv) The Limitation Act, 1963	विशयनिश्ठ (Subjective)	100
	द्वितीय	2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक	द्वितीय	(i) The Contract Act, 1872 (ii) The Sales of Goods Act, 1930 (iii) The Negotiable Instruments Act, 1881 (iv) The Arbitration and Conciliation Act, 1996 (v) The Transfer of Property Act, 1882	विशयनिश्ठ (Subjective)	100
20.07.2014 (रविवार)	प्रथम	10.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न तक	तृतीय	(i) The Hindu Law and The Mohammedan Law (ii) Rent Control Law (iii) The Specific Relief Act, 1963 (iv) Jurisprudence	विशयनिश्ठ (Subjective)	100
	द्वितीय	2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक	चतुर्थ	Hindi and English (Essay, Precis writing, Translation & Paraphrase)	विशयनिश्ठ (Subjective)	100

सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश, प्रवे ा पत्र एवं उपस्थिति पत्रक से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ निम्नवत् हैं:–

(i) **अभ्यर्थियों को सभी विशयों की परीक्षाओं में भाामिल होना अनिवार्य है।**

(ii) **इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रवे ा–पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाएँगे।**

(iii) **आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर प्रवे ा पत्र, अनुदे ा एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड कर परीक्षा में भाामिल होने की व्यवस्था की गई है।**

(iv) **औपबंधिक (Provisional) प्रवे ा पत्र एवं अनुदे ा के साथ तिथिवार एवं पालीवार उपस्थिति पत्रक की प्रति आयोग के वेबसाईट से अभ्यर्थी डाउनलोड करेंगे।**

(v) **आयोग के वेबसाईट पर दिनांक–01.07.2014 (मंगलवार) से अभ्यर्थी प्रवे ा–पत्र, अनुदे ा एवं उपस्थिति पत्रक आयोग के वेबसाईट पर अपना प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकते हैं।**

(vi) यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणव ा वेबसाईट से प्रवे ा पत्र, अनुदे ा एवं उपस्थिति पत्रक प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो वे आयोग के पूछताछ काउन्टर से दिनांक–**10.07.2014 (गुरुवार) एवं 11.07.2014 (ाुक्रवार)** को कार्यालय अवधि में अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि एवं प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक सहित लिखित आवेदन देकर प्राप्त कर सकते हैं।

(vii) अभ्यर्थियों को निदे ा दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवे ा पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं परीक्षा केन्द्र की जाँच कर लें । यदि उनमें कहीं कोई त्रुटि नजर आती है तो आयोग के पूछताछ काउन्टर से दिनांक–**07.07.2014 (सोमवार) से 11.07.2014 (ाुक्रवार)** को अव ाय सम्पर्क कर लिखित आवेदन समर्पित करें। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्रवाई संभव नहीं होगी।

(viii) अभ्यर्थियों को निदे ा दिया जाता है कि वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रवे ा पत्र एवं संबद्ध पाली का उपस्थिति पत्रक अपने परीक्षा केन्द्र पर अव ाय साथ लाएँ अन्यथा उन्हें परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा।

(ix) अभ्यर्थी **Passport size** की दो फोटो स्वहस्ताक्षरित प्रति एवं पहचान पत्र अपने साथ अपने परीक्षा केन्द्र पर अव ाय लायें।

(x) विकलांग कोटे के अभ्यर्थी श्रुतलेखक (scribe) हेतु परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण–पत्र सहित अपने केन्द्र पर उपस्थित होकर केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना पत्र समर्पित करेंगे, जिसके आधार पर केन्द्राधीक्षक द्वारा इस निमित यथा–निर्दे ाित व्यवस्था की जानी है।

(xi) **अभ्यर्थीगण ओ0एम0आर0 (OMR) आधारित उत्तर–पुस्तिका के मुखपृश्ठ पर आव ायक जानकारियाँ प्रविष्ट करने के पूर्व प्रवे ा–पत्र, उपस्थिति पत्रक एवं उत्तर–पुस्तिका में दिए गए अनुदे ाों को ध्यानपूर्वक पढ़कर ही प्रविष्टि अंकित करें। उत्तर–पुस्तिका में अनिवार्य जानकारी नहीं भरने की स्थिति में अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है एवं आवेदक इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(xii) परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाईल फोन या अन्य कोई Electronic उपकरण (Gadget) रखने की अनुमति नहीं है। अतः परीक्षार्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केन्द्र पर कागज/पर्ची, मोबाईल फोन सहित प्रतिबन्धित वस्तुएँ यथाः बैग, पाठ्य पुस्तिकाएं, खाद्य सामग्री, पानी की बोतल एवं हथियार इत्यादि साथ नहीं लायें। इन अनुदे ाों का उल्लंघन किये जाने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित दंडात्मक/अनु ाासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

(xiii) परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह परीक्षा आरंभ होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुँच कर तुरन्त अपनी सीट पर बैठ जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट अर्थात् 10:15 एवं 2:15 अपराह्न के प चात् आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवे ा के अधिकारी नहीं होंगे।

(xiv) अभ्यर्थियों के निमित परीक्षा संबंधी अन्य सामान्य निर्दे ा आयोग की वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

ह0 / —

परीक्षा नियंत्रक

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची